

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

प्रश्न संख्या 1274

28, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अर्नाधिकृत पैथालॉजिकल प्रयोगशालाएं और  
नैदानिक केन्द्र

1274. श्री

क स स्थिति परिवार कल्याण मंत्रालय

- ( ) क्या सरकार को देश में मुंबई सहित नैदानिक केन्द्रों की संख्या में हो रही वृद्धि की जानकारी है जो आवश्यक अवसंरचना और योग्य स्टाफ के साथ कर रहे हैं;
- ( ) यदि हाँ, तो बताना ;
- ( ) सरकार द्वारा देश में उक्त नैदानिक केन्द्रों के विरुद्ध क्या कारवाई की गई है या नहीं ?

त

स स्थिति और परिवार कल्याण मंत्रालय (श्री श्रेणी)

- ( ) से (ग): सरकार बिना आवश्यक जानकारी प्राप्त करने नैदानिक केंद्रों की कार्य प्रणाली के बारे में समय-समय पर मीडिया में आने वाली रिपोर्टों की स्थिति जानें, अतः किसी भी उल्लंघन की जाँच / निरीक्षण क्षेत्र में सांविधिक प्रावधानों के तहत जाँच / निरीक्षण क्षेत्र में नैदानिक केंद्रों को विनियमित करने का उचित यत्न

उ / उ क्षेत्र को सरकार का है। कद्री

f ढ i

भारत सरकार ने नैदानिक प्रयोगशालाओं सहित क्लिनिकल संस्था  
और विनियमन के लिए नैदानिक संस्थान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010  
अधिनियमित किया और क्लिनिकल संस्थान (कद्र सरकार) नियमावली, 2012  
f f i उ / उ क्षेत्र जहां उक्त अधिनियम लागू है,  
क्लिनिकल संस्थाओं को मानकों को पूरा करना अपेक्षित है, f  
न , कार्मिकों का न्यू श , f f f f  
अनुरक्षण और दृष्टि स न पर दरों का प्रदर्शन। क्लिनिकल संस्थाओं को कद्र/राज्य  
सरकारों द्वारा जारी मानक उपचार दिशा-निर्देशों और समय- f f i i  
रज के भीतर प्रत्येक प्रकार की प्रक्रिया और सेवा हेतु प्रभावी दरों का पालन करना भी  
श क f f न यन और प्रवर्तन राज्य/ उ क्षेत्र i  
सरकारों के क्षेत्र में आता है।

\*\*\*\*\*